# भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, गोड्डा।

आर0 ई0 आर केश नं0–35 / 2015–2016

शंकर राम उर्फ शिवशंकर महरा

बनाम्

गोविन्द सिंह

:–आदेशः–

15/5/2025

विपक्षी के लगातार कई तिथियों से अनुपस्थित रहने एवं अंतिम नोटिश देने के पश्चात् भी सुनवाई के निर्धारित तिथि को विपक्षी के अनुपस्थित रहने के कारण आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को एक पक्षीय सुना। अभिलेख बद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

वर्त्तमान वाद की प्रक्रिया आवेदक शंकर राम उर्फ शिवशंकर महरा पे0 स्व0 छेदी महरा साकिन–मछिया सिमरड्डा टोला लालपुर थाना–गोड्डा (मु0) जिला–गोड्डा के आवेदन के आधार पर मौजा–अमडीहा नं0–373 जमाबंदी सं0–29, दाग नं0–166,रकवा–00–10–10 धुर जमीन से विपक्षी गोविन्द सिंह पे0–स्व0 बौनी सिंह वो संजय सिंह पे0–गोविन्द सिंह साकिन–मछिया सिमरड्डा टोला लालपुर थाना–गोड्डा (मु0) जिला–गोड्डा को संथाल परगना काश्तकारी(पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 एवं 42 के तहत् उच्छेद करने के लिए प्रारंभ किया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–अमडीहा नं0–373 जमाबंदी नं0–29 की जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में जमाबंदी रैयत बदरी महरा वल्द मथूर महरा वो सेरू महरा वल्द प्रभु महरा के नाम से दर्ज है। जमाबंदी रैयत बदरी महरा को एक पुत्र गेठु महरा हुए। गेठु महरा को तीन पुत्री क्रमशः– (1) समरी देवी (2) पवरी देवी (3) हुरिया देवी हुए। गेठु महरा को कोई पुत्र नहीं होने के कारण वे अपने ज्येष्ठ पुत्री समरी देवी को सब दिन अपने पास रखा एवं शादी करने के पश्चात् दमाद को भी अपने साथ रखा। समरी देवी को एक पुत्र आवेदक शंकर राम उर्फ शिव शंकर महरा हुए। उनका आगे कथन है कि गेठु महरा ने अपने अन्य दो पुत्री पवरी एवं हुरिया देवी का शादी करा दिया एवं वे दोनों शादी के बाद अपने पति के घर में सब दिन रहने लगी। उनका आगे कहना है कि गेठु महरा ने आवेदक के नाम विल भी कर दिया है जिसका प्रोबेट भी हो गया है एवं जमीन संबंधी सभी मुकदमे में आवेदक के पक्ष में निर्णय हुआ है तथा बिल में अन्य वहन पवरी देवी भी गवाह है तथा उनके

द्वारा स्वीकृति दी गयी है। इस प्रकार आवेदक जन्म से ही गेठु मेहरा के साथ रहते चले आ रहे हैं एवं जमाबंदी रैयत बदरी महरा के जमीन पर दखलकार है तथा मालगुजारी का भी भुगतान करते चले आ रहे हैं। विपक्षी के द्वारा उक्त धानी दोएम जमीन को अवैध ढंग से कब्जा कर लिया गया है।

आवेदक विपक्षी को उक्त जमीन से उच्छेद कर जमीन वापस करने के लिए अनुरोध किया है।

इस संबंध में अंचल अधिकारी, गोड्डा के पत्रांक–332/रा0,दिनांक–26.02.2016 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदित किया गया है कि विपक्षी के द्वारा संथाल परगाना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 एवं 42 का उल्लघंन किया गया है। इसलिए उच्छेदी की कार्रवाई की जा सकती है।

उपर्युक्त तथ्यों एवं अभिलेख बद्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा अमडीहा थाना नं0–373 जमाबंदी नं0–29 की जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में बदरी महरा वल्द मथुर महरा को सीरू महरा वल्द प्रभु महरा के नाम से दर्ज है।

उक्त जमाबंदी के अन्तर्गत दाग नं0–166 रकवा–00–10–10 धुर जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में किस्म धानी दोएम दर्ज है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत जमीन कृषि योग्य जमीन है जिसका हस्तान्तरण संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 के प्रावधानों के तहत् नहीं किया जा सकता है। अंचल अधिकारी गोड्डा के प्रतिवेदन से भी स्पष्ट होता है कि विपक्षी के द्वारा संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) की धारा 20 का उल्लघंन किया गया है एवं चूँकि अंतिम नोटिश तामिला के पश्चात् भी विपक्षी सुनवाई के समय उपस्थित नहीं हुए है। इससे स्पष्ट होता है कि विपक्षी को कुछ नहीं कहना है।

अतः उपयुक्त तथ्यों के आलोक में संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 एवं 42 तहत् मौजा–अमडीहा थाना नं0–373 जमाबंदी नं0–29 रकवा–00–10–10 धुर जमीन से विपक्षी को उच्छेद किया जाता है एवं अंचल अधिकारी गोड्डा को आदेश दिया जाता है कि प्रश्नगत जमीन पर आवेदक को दखल दिलाकर न्यायालय को अनुपालन से अवगत करावें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
गोड्डा।

Digitally signed by RITESH JAISWAL
Date: 2025.05.31 16:25:14 +05:30
Location: 192.168.29.152

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
गोड्डा।